बिहार के पटना जिले की मध्यमवर्गीय महिलाओं की शिक्षा के विकास हेतु उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

[1]Prof. (Dr.) Chetlal Prasad, [2]Sweta Rani

[1]Professor of Education, [2]Research Scholar
Maa Vindhyavashini College of Education, Department of Education
Authorized Supervisor (SNU Ranchi) Sai Nath University

सारांश :

किसी भी देश को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए वहां की महिलाओं का शिक्षित होना जरुरी है। यह एक तरह से उस दवाई की भांति है जो मरीज़ को ठीक होने में मदद करती है और उसे फिर से सेहतमंद बनने में मदद करती है। महिला शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत को आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से विकसित बनाने में। शिक्षित महिला उस तरह का औज़ार है जो भारतीय समाज पर और अपने परिवार पर अपने हुनर तथा ज्ञान से सकारात्मक प्रभाव डालती है भारत में वैदिक काल से ही स्त्रियों के लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार था। मुगल काल में भी अनेक महिला विदुषियों का उल्लेख मिलता है।

पुनर्जागरण के दौर में भारत में स्त्री शिक्षा को नए सिरे से महत्व मिलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वार सन 1854 में स्त्री शिक्षा को स्वीकार किया गया था। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण साक्षरता के दर 0.2% से बदकर 6% तक पहुँच गया था। कोलकाता विश्वविद्यालय महिलाओं को शिक्षा के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। 1986 में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रत्येक राज्य को सामाजिक रूपरेखा के साथ शिक्षा का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1947 से लेकर भारत सरकार पाठशाला में अधिक लड़कियों को पढ़ने का मौका देने के लियेए अधिक लड़कियों को पाठशाला में दाखिला करने के लिये और उनकी स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश में अनेक योजनाएँ बनाए हैं जैसे कि निरूशुल्क पुस्तकेंए दोपहर की भोजन आदि ।

प्रस्तावना –

किसी भी ग्राम अथवा नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग हैं। विकास की समस्याओं का हल समाज द्वारा ही संभव हैं। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक संभव नही हो पायेगा जब तक कि उसमें स्थानीय जन भागीदारी सुनिश्चित न हो। स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं के पास है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी आंकलन वहां के लोग ही कर सकते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वैच्छिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिये कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज की सहभागिता से समाज के विकास के लिये कार्य कर सकेंगे। सामाजिक सशक्तीकरण का अभिप्राय होता है समाज प्रदत्त सभी असमानताओं, विषमताओं तथा अन्य समस्याओं को दूर करना और बुनियादी न्यूनतम सेवा के प्रति सुगम पहुंच निश्चित करना।5 महिला को किसी भी 'परिवार की धुरी' कहा जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि महिलाएँ स्वयं ही अपने व परिवार के बारे में निर्णय लें, अपने फैसले को अमल में लाए और उन्हें सामाजिक स्वीकृति भी मिले लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा है। जरूरत इस बात की है सामाजिक मान्यताओं, अवधारणाओं और क्रियात्मक को शक्ति के साथ जोड़कर देखा जाए। महिलाओं में कुशलता और काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन पुरुष उन्हें मान्यता ही नहीं देना चाहते। पुरुष और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण हमारी पुरातन धार्मिक व सामाजिक मान्यताओं में ही छिपे हैं। भारतीय परम्परा में जैविक व लैंगिक अंतर का आधार पर स्त्री–पुरुष में अंतर किया गया है और यहीं अंतर जीवन के लगभग सभी पक्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही कारण है कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो महिलाओं का है निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इनकी स्थिति को देखते हुए इनके विकास के विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। भारत मे वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप मे मनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने भी इस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप मे मनाने का निर्णय लिया है। देश की आधी आबादी और शक्ति को समुचित मान्यता देने के लिए इस प्रकार के प्रयास अभिनंदनीय है, क्योकि देश की महिलाएं शताब्दियों से पराधीनता, पीड़ा प्रताड़ना और भेदभाव का पर्याय मानी जा रही है।

1.2 शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

षोधार्थी द्वारा प्रस्तावित षोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेष के महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव षोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य षासन द्वारा कठिनाइयों को दूर कर विकसित करने पर समर्थ हो सकता है।

समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक तबके का व्यक्ति अनावश्यक तनाव, अनावश्यक मानसिक उलझन का सामना कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने समाज के सदस्यों का प्रचार किये बिना अपनी इच्छा पूरा करते है तो उसके लिये न केवल प्रतिरोध का खतरा उत्पन्न हो जाता है वरन उनके उद्देश्य के पूर्ति मे सहयोग की संभावना नही रहती है। अतः उसमें सामाजिक मूल्यों, आदर्शो तथा रीति रिवाजों के अनुरूप कार्य करने की प्रवृति होती है। जीवन में अनुकूल व प्रतिकुल दोनों तरह की दशायें आती है तथा प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उनसे समायोजन करता है। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितयों से अपने को समायोजित नही कर पाते है। षोध कार्य में वास्तविक स्थिति का विष्लेशण कर सषक्त प्रभाव सुझाव प्रस्तुत कर सकेगा। जिनका उपयोग न केवल षोध क्षेत्र में अपितु सम्पूर्ण देष में महिला षिक्षा के विकास हेतु किया जा सकेगा। षोधार्थी द्वारा चयनित षोध कार्य इस क्षेत्र में पूर्णतः नवीन है जो षिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

1.3 शोध शीर्षक :

बिहार के पटना जिले की मध्यमवर्गीय महिलाओं की शिक्षा के विकास हेतु उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

1.4 शोध अध्ययन के उद्देश्य :

शोधार्थी ने अपनी शोध समस्या की सम्पूर्ण जानकारी एवं सभी पक्षों का अध्ययन करने के लिये निम्नांकित उद्देश्य है। –

1. पटना जिले में महिला शिक्षा की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
2. पटना जिले में महिला शिक्षाा के विकास हेतु संचालित योजनाओं की स्थिति ज्ञात करना।
3. पटना जिले में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति ज्ञात करना।
4. पटना जिले में महिला शिक्षा के विकास में शासकीय योजनाओं की प्रभावशीलता ज्ञात करना।
5. पटना जिले में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाना।
6. पटना जिले में महिला शिक्षा के विकास में आने वाली समस्याओं व अवरोधों का पता लगाना।
7. इन समस्याओं के निराकरण हेतु सशक्त सुझाव प्रस्तुत करना।

1.5 शोध परिकल्पनाएँ :

प्रस्तुत षोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ निम्नानुसार हैंः–

1. शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नही है।
2. शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक है।
3. शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई सार्थक अन्तर नही है।
4. शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
5. शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाओं के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।
6. शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
7. शोध क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।
8. शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप सामाजिक सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
9. शोध क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।
10. शोध क्षेत्र में सामाजिक रीतिरिवाज, मान्यताएँ व कुरीतियाँ महिला शिक्षा को प्रभावित कर रही है।
11. शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास हेतु प्रचार व प्रसार के कारण सामाजिक जागरुकता बढ़ी है।

1.6 शोध समस्या मे प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण :

मध्यम वर्ग :–

समाज का वर्गीकरण समाजशास्त्र का विषय है। यह वर्गीकरण अधिकतर आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर होता है। समाज को उच्च मध्यम और निम्न तीन वर्गों में बाँटा जाता है। देश और काल के आधार पर इन वर्गों का लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। सत्यजित राय ने जिस मध्यवर्ग की प्रस्तुति अपनी फ़िल्मों में की है वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न

न सही पर कमज़ोर नहीं है। वह शिक्षित भी है और विकासोन्मुख होना चाहता है लेकिन वह अपनी परंपराओं और रूढ़ियों से भी अपने को मुक्त नहीं कर सका है।

पटना जिला :–

पटना भारत में बिहार प्रान्त क राजधानी ह। पटना क प्राचीन नाँव पाटलिपुत्र रहे। आधुनिक पटना दुनिया की कुछ अइसन गिनल–चुनल प्रचीन नगरन में से बा जेवन बहुत प्राचीन काल से आज ले आबाद बाड़ें। अपने आप में ए शहर क बहुत इतिहासी महत्व बाटे।

9 जिले हैं– भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। पटना जिला बिहार के तीन कृषि–जलवायु क्षेत्रों के बीच जलोढ़ मैदानों में स्थित है। आधुनिक पटना बिहार राज्य क राजधानी ह आ गंगा नदी की दक्षिणी किनारा पर अवस्थित बा। सोलह लाख (16,00,000) से अधिक आवादी वाला ई शहर, लगभग 15 कि.मी. लम्बा आ 7 कि.मी. चौड़ा बाटे। प्राचीन बौद्ध आ जैन तीर्थस्थल वैशाली, राजगीर या राजगृह, नालन्दा, बोधगया अउरी पावापुरी पटना शहर की आसे–पास बाड़ें। पटना सिक्ख लोगन खातिर पवित्र अस्थान हवे। सिक्ख लोगन क 10वें आ अंतिम गुरु गुरू गोबिंद सिंह क जन्म एहिजा भइल रहेद्य हर बरिस देश–विदेश से लाखन गो सिक्ख श्रद्धालु पटना में हरमंदिर साहब क दर्शन करे आवेला लोग आ मत्था टेकेला लोग।

महिला शिक्षा के विकास :–

महिला शिक्षा के विकास से तात्पर्य महिलाओं की शैक्षिक स्थिति से है। इससे तात्पर्य किसी भी महिला में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक व शैक्षिक उत्थान से है। षासन द्वारा संचालित विभिन्न षासकीय योजनाएँ महिला षिक्षा विकास पर क्रियान्वयन के अध्ययन से है।

महिला आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण :–

महिला सशक्तीकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।, महिला सशक्तीकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारिरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

1.7 शोध परिसीमन :

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र बिहार का पटना जिला है। इसके अन्तर्गत 9 विकासखण्ड – भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल है। अतः जिला अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत, नगर/कस्वा इस अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित होंगे। चूंकि पटना जिला का क्षेत्र व्यापक है, जिस कारण सभी ग्राम पंचायत, नगर / कस्वा का अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए जिले के सभी 9 विकासखण्डों से 5 ग्राम पंचयात व 5 नगर/कस्वा कुल 5 ग्राम पंचायत व 5 नगर/कस्वा का चयन दैव निदर्षन द्वारा अध्ययन हेतु किया गया है। न्यादर्श का चयन करते समय यह विषेश रूप से ध्यान रखा गया कि सभी विकासखण्डों के ग्राम पंचयात, नगर/कस्वा ऐसे हो जो अपने–अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके।

1.8 शोध विधि–

वास्तव में किसी प्राकृतिक घटना की वर्तमान दशाओं की यर्थाथ जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। अतः प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि ा एवं साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है।

1.9 जनसंख्या–

शोध में जनसंख्या का अर्थ भिन्न होता है जनसंख्या का तात्पर्य सम्पूर्ण इकाईयों के निरीक्षण से होता है। प्रस्तुत शोध में पटना जिला के मध्यम वर्गीय महिलाओं की शिक्षा के विकास हेतु उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। अतः शोधकर्ता ने जनसंख्या हेतु बिहार राज्य के पटना जिला के अंतर्गत 9 विकासखण्ड – भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल के महिलाओं को शोध की जनसंख्या के रूप में शामिल किया है।

1.9.1 न्यादर्श –

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में बिहार राज्य के पटना जिला क्षेत्र है। जिले के सभी 09 विकासखण्डों से 5 ग्राम पंचयात एवं 5 नगर/कस्वा कुल 45 ग्राम पंचायत और 45 नगर/कस्वा का चयन दैव निदर्षन द्वारा अध्ययन हेतु किया गया है। महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यादर्ष के रूप में चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10–10 महिलाएँ कुल 450 महिलाएँ एवं प्रत्येक नगर/कस्वों से 10–10 महिलाएँ कुल 450 महिलाएँ, इस प्रकार कुल 900 महिलाओं का चयन दैव निदर्षन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है।

1.9.2 न्यादर्श विधि –

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श विधि के रूप में बिहार राज्य के पटना जिला क्षेत्र है। जिसमें समानुपात में यादृच्छिक विधि द्वारा लिया गया है।

1.10 शोध में प्रयुक्त उपकरण–

प्रस्तुत शोध प्रबंध में प्राथमिक एवं द्वितीय समंकों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु अनुसूची / प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया गया है। शोध कार्य में द्वितीयक समंकों के रूप में सरकारी प्रकाशनों, आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट, साहित्य, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएँ, अप्रकाशित साहित्य / स्रोत तथा स्वयं सेवी संगठनों से जानकारी प्राप्त की गयी है। समंकों के संकलन हेतु सरकारी विभागों से भी जानकारी एकत्रित की गयी है।

1.11 शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी–

प्रस्तुत अध्ययन में शोधक ने अपने शोध कार्य के परिणामों व निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए मध्यमान प्रमाप विचलन,टी–परीक्षण एवं प्रतिशत सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

1.12 शोध निष्कर्ष

षोध की उपयोगिता षोध के निष्कर्ष पर निर्भर करती है। बिहार राज्य के पटना जिले में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन को दृश्टिगत रखते हुए षोधार्थी द्वारा अपने षोध कार्य में प्राप्त प्रतिफलों को निश्कर्शों के रूप में बिन्दुवार निरूपित करते हुए प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं–

1. शोध क्षेत्र में 31–35 वर्ष आयु वर्ग वाली सदस्यों की संख्या सर्वाधिक हैं जो की महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भली–भाँति जानकारी रखती हैं।

2. शोध क्षेत्र के 35.33 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक व 31.11 प्रतिशत स्नातकोत्तर की है जिसका मुख्य कारण शिक्षा के प्रति जागरूक थे।

3. शोध क्षेत्र के 41.11 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य वर्ग, 24.44 प्रतिशत अनुसूचित जाति के, 17.89 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के तथा 16.56 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं।

4. शोध क्षेत्र के उत्तरदाता एकल परिवार में रहना ज्यादा पसंद करतें हैं क्योकि संयुक्त परिवार में आर्थिक तंगी व कलह की समस्या अधिक रहता हैं। संयुक्त परिवार से ज्ञात होता है कि भारतीय समाज आधुनिकता की ओर जा रहा है तथा संयुक्त परिवार एकल परिवार का रूप लेते जा रहे है।

5. शोध क्षेत्र में कृषि व गृहणी का कार्य अधिकतम उत्तरदाताओं के द्वारा किया जाता है तथा पूँजी के अभाव के कारण अधिकतम उत्तरदाता रोजगार नहीं कर पाते हैं।

6. शोध क्षेत्र में 40.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास भूमि नही है तथा अधिकांश सीमांत कृषक हैं, जो आर्थिकरूप से कमजोर है। ऐसी स्थिति में योजनाओं का क्रियान्वयन इनके जीवन मे महत्वपूर्ण बन सकती है।

7. शोध क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति में सार्थकता का औसत उपलब्धि 31.40 है तथा मानक विचलन 6.59 है। शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति में सार्थकता का औसत उपलब्धि 31.82 है तथा मानक विचलन 6.66 है। 898 df पर सार्थकता के लिए श्जश का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.58 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर 1.96 है, जबकि अध्ययन से प्राप्त श्जश का मान –0.96 है, जो कि दोनो विश्वास स्तरों के मानों से कम है। अतः ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नही है।

8. शोध क्षेत्र के 67.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार महिला शिक्षा विकास हेतु संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक है।

9. शोध क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं में क्रियान्वयन की स्थिति में सार्थकता का औसत उपलब्धि 28.24 है तथा मानक विचलन 9.22 है। शहरी क्षेत्रों में योजनाओं में क्रियान्वयन की स्थिति में सार्थकता का औसत उपलब्धि 29.13 है तथा मानक विचलन 7.85 है। 898 कि पर सार्थकता के लिए श्जश का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.58 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर 1.96 है, जबकि अध्ययन से प्राप्त 't' का मान –1.56 है, जो कि दोनो विश्वास स्तरों के मानों से कम है। अतः ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई सार्थक अन्तर नही है।

10. शोध क्षेत्र के 69.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार महिला शिक्षा विकास हेतु संचालित योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

11. शोध क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाओं के प्रभाव की स्थिति में सार्थकता का औसत उपलब्धि 28.31 है तथा मानक विचलन 9.14 है। शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाओं के प्रभाव की स्थिति में सार्थकता का औसत उपलब्धि 29.13 है तथा मानक विचलन 8.13 है। 898 df पर सार्थकता के लिए श्जश का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.58 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर 1.96 है, जबकि अध्ययन से प्राप्त

श्जश का मान –1.43 है, जो कि दोनो विश्वास स्तरों के मानों से कम है। अतः ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाओं के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।

12. शोध क्षेत्र के 69.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

13. शोध क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव की स्थिति में सार्थकता का औसत उपलब्धि 26.69 है तथा मानक विचलन 9.18 है। शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव की स्थिति में सार्थकता का औसत उपलब्धि 28.04 है तथा मानक विचलन 8.76 है। 898 df पर सार्थकता के लिए 't' का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.58 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर 1.96 है, जबकि अध्ययन से प्राप्त श्जश का मान –2.27 है, जो कि दोनो विश्वास स्तरों के मानों से कम है। अतः ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।

14. शोध क्षेत्र के 67.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप सामाजिक सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

15. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव की स्थिति में सार्थकता का औसत उपलब्धि 28.02 है तथा मानक विचलन 9.15 है। शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव की स्थिति में सार्थकता का औसत उपलब्धि 29.67 है तथा मानक विचलन 9.02 है। 898 df पर सार्थकता के लिए श्जश का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.58 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर 1. 96 है, जबकि अध्ययन से प्राप्त 't' का मान –2.71 है, जो कि दोनो विश्वास स्तरों के मानों से कम है। अतः ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।

16. शोध क्षेत्र के 65.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार सामाजिक रीतिरिवाज, मान्यताएँ, व कुरीतियाँ महिला शिक्षा को प्रभावित कर रही है।

17. शोध क्षेत्र के 68.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के मतानुसार महिला शिक्षा के विकास हेतु प्रचार व प्रसार के कारण सामाजिक जागरुकता बढ़ी है।

1.12.1 परिकल्पनाओं का सत्यापन व निष्कर्ष :

शोध अध्ययन के माध्यम से बिहार राज्य के पटना जिले में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। शोधार्थी ने शोध अध्ययन हेतु परिकल्पनाएँ कल्पित की थी, जिनका आंकड़ों के सांख्यिकीय विष्लेषण के आधार पर सत्यापन एवं निरसन निम्नानुसार है–

परिकल्पना क्रमांक – 1 : "शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा की स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नही है।"

परिकल्पना क्रमांक – 2 : "शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा विकास हेतु संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक है।"

परिकल्पना क्रमांक – 3 : "शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई सार्थक अन्तर नही है।"

परिकल्पना क्रमांक – 4 : "शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा विकास हेतु संचालित योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।"

परिकल्पना क्रमांक – 5 : "शोध क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाओं के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।"

परिकल्पना क्रमांक – 6 : "शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।"

परिकल्पना क्रमांक – 7 : "शोध क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप आर्थिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।"

परिकल्पना क्रमांक– 8 : "शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप सामाजिक सशक्तीकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।"

परिकल्पना क्रमांक – 9 : "शोध क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विकास के फलस्वरूप सामाजिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।"

परिकल्पना क्रमांक – 10 : "शोध क्षेत्र में सामाजिक रीतिरिवाज, मान्यताएँ, व कुरीतियाँ महिला शिक्षा को प्रभावित कर रही है।"

परिकल्पना क्रमांक – 11 : "शोध क्षेत्र में महिला शिक्षा के विकास हेतु प्रचार व प्रसार के कारण सामाजिक जागरुकता बढ़ी है।"

अतः उपरोक्त परिकल्पना सत्यापित होती है।

1.13 समस्याएँ एवं अवरोध :

कुछ गाँवों में महिलाएँ अषिक्षित होने के कारण न सिर्फ वें आर्थिक दयनीय हैं बल्कि उनको रोजगार में कम पैसों में भी कार्य करने को मजबूर होना पड़ता है। अधिकांष महिलाएँ एवं लड़कियाँ रोजी रोटी की व्यवस्था में लगी रहती है, इससे स्वाभाविक रुप से वे अषिक्षित रह जाती हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे परिवार षिक्षा को दूसरी प्राथमिकता में रखते हैं, उनके लिए पहली प्राथमिकता जीवनयापन को सुव्यवस्थित करने में होता है। कोई भी षिक्षा प्रणाली तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक वो हमारे जीविकोपार्जन को अनुकूल नहीं बनाती। निःसंदेह षिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आर्थिक एवं सामाजिक दषा में सुधार हो सकता है। वर्तमान में षिक्षा के प्रति महिलाओं में जागरुकता बढ़ रही है।

समस्याओं को दूर करने के हेतु निम्न उपाय सुझाये जा सकते हैं –

1. महिला षिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। षिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार करके उनको शिक्षा के महत्व के प्रति जागरुक बनाया जाना चाहिए।
2. आर्थिक दषा को सुधारने के लिए विषेश कौषल विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। ताकि वे पर्याप्त प्रषिक्षण लेकर अपना जीवन निर्वाह बेहतर ढंग से कर सकें।
3. बचत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय ताकि वे अपनी बचत को एकत्र करके संचित पूँजी से कोई नया रोजगार/व्यवसाय कर सकें।
4. बस्तियों में नषा मुक्ति के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। ताकि वे बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा आदि व्यसनों में अपना पैसा और स्वास्थ्य खराब न करें।
7. बस्तियों के लोगों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए जिससे वे सीमित परिवार की उचित देखभाल एवं भरण – पोशण कर सकें।
8. विकास हेतु शासन द्वारा विषिश्ट योजना का संचालन/क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
9. सामाजिक असमानता को कम करने के प्रयास किए जाने की आवष्यकता है।

1.14 सुझाव :

1. महिलाओं को कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प का प्रशिक्षण प्रदान जिससे कि वे घर में रहकर किये जाने वाले आय जनित कार्य कर सके।
2. सरकार द्वारा चलाएँ जा रहे कार्यक्रमों विशेषतया रोजगार कार्यक्रमों तथा अन्य सुविधाओं से परिचित कराया जाय।
3. महिलाओं को उनके अधिकारों से परिचित कराना जिससे कि उन्हें सेवायोजना अथवा अन्य किसी सम्बन्ध में पोषण का शिकार न होना पड़े।
4. महिलाओं को कम ब्याज दर पर रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जावे।
5. महिलाओं के उत्थान हेतु चलाई जा रही योजनाओं के नियम को सरल तथा लचीला बनाया जाना चाहिए वर्तमान कुछ योजनाओं की शर्ते बहुत ही जटिल एवं सख्त है जिससे उनका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है।

1.15 भावी शोध हेतु सुझाव :

1. महिला षिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। षिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार करके उनको षिक्षा के महत्व के प्रति जागरुक बनाया जाना चाहिए।
2. उचित दरों पर पर्याप्त आवास उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। मकान उपलब्धता कराने हेतु सरकार इनको अनुदान एवं सहायता प्रदान करे ताकि वे संकुचित रहवास से मुक्त हो सकें।
3. आर्थिक दषा को सुधारने के लिए विषेश कौषल विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। ताकि वे पर्याप्त प्रषिक्षण लेकर अपना जीवन निर्वाह बेहतर ढंग से कर सकें।
4. बस्तियों के लिए पर्याप्त स्वच्छ पेयजल, नाली एवं षौचालय बनाये जाने चाहिए एवं उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाय कि वे साफ एवं स्वच्छ वातावरण में रहें ताकि वे बीमारियों से मुक्त रहे।
5. बचत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय ताकि वे अपनी बचत को एकत्र करके संचित पूँजी से कोई नया रोजगार/व्यवसाय कर सकें।
6. बस्तियों में नषा मुक्ति के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। ताकि वे बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा आदि व्यसनों में अपना पैसा और स्वास्थ्य खराब न करें।
7. बस्तियों के लोगों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए जिससे वे सीमित परिवार की उचित देखभाल एवं भरण – पोशण कर सकें।
8. विकास हेतु षासन द्वारा विषिश्ट योजना का संचालन/क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
9. सामाजिक असमानता को कम करने के प्रयास किए जाने की आवष्यकता है।
10. महिलाओं को कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प का प्रशिक्षण प्रदान जिससे कि वे घर में रहकर किये जाने वाले आय जनित कार्य कर सके।
11. सरकार द्वारा चलाएँ जा रहे कार्यक्रमों विशेषतया रोजगार कार्यक्रमों तथा अन्य सुविधाओं से परिचित कराया जाय।

12. महिलाओं को उनके अधिकारों से परिचित कराना जिससे कि उन्हें सेवायोजना अथवा अन्य किसी सम्बन्ध में पोषण का शिकार न होना पड़े।
13. महिलाओं को कम ब्याज दर पर रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जावे।
14. महिलाओं के उत्थान हेतु चलाई जा रही योजनाओं के नियम को सरल तथा लचीला बनाया जाना चाहिए वर्तमान कुछ योजनाओं की शर्ते बहुत ही जटिल एवं सख्त है जिससे उनका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है।
15. वर्तमान समय में सबसे बडी समस्या जो कि समाज सुधार का उद्देष्य ही समाप्त कर देती है भ्रष्टाचार को समात्त करने का यथासम्भव प्रयास करना चाहिए क्योकि इसके निवारण के बिना किसी भी योजना का लाभ गरीब निवासियों को नहीं मिल सकता है।
16. शिक्षा एवं उससे संबंधी चलाई जा रही योजनाओं पर अत्यधिक जोर देना चाहिए जिससे लोग अपने हितार्थ कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से समझ सकें एवं उसका लाभ उठा सकें।
17. शासन के मानकों के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन का समीक्षात्मक अध्ययन।
18. महिला शिक्षा के विकास हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन का सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन।
19. महिलाओं में रुढ़िवादी परम्पराएं, मान्यताएँ सामाजिक विकास का समीक्षात्मक अध्ययन।
20. महिलाओं में सामाजिक जागरुकता का समीक्षात्मक अध्ययन।

सन्दर्भ सूचि :

1. सिन्हा मनीश कुमार ,भारत मे महिला शिक्षा दशा एवं दिशा, कुरूक्षेत्र सितम्बर 2005, ए विंग गेट नं.5 निर्माण भवन ग्रामीण विकास मंत्रालन नई दिल्ली 110011।
2. जे सी अग्रवाल (1 January 2009). भारत में नारी शिक्षा. प्रभात प्रकाशन. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-85828-77-0.
3. स्याल शांति कुमार (2000) : नारी मुक्त संग्राम, आत्माराम एण्ड सन्स कश्मीरी गेट, दिल्ली – 100006।
4. सुमन कृष्ण कांत (1 सितम्बर 2001). इक्कीसवीं सदी की ओर. राजकमल प्रकाशन. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-267-0244-2
5. डाँ. जे. पी. सिंह, (1 April 2016). आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन. PHI Learning Pvt. Ltd. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-203-5232-2.
6. डाँ. जे. पी. सिंह, (1 April 2016). आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन. PHI Learning Pvt. Ltd. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-203-5232-2.
7. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ग्रामीण भारत मासिक पत्रिका, अप्रैल 2011, प्रकाशक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ग्रामीण भारत मासिक पत्रिका, जून 2010, प्रकाशक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।
9. रीवा जिला, गजेटियर संचालनालय संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश भोपाल, 1992।
10. सिंह सीमा (सितम्बर 2001) योजना, 538, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001।
11. सिंह उपेन्द्र दिसम्बर 2010, कुरूक्षेत्र, 'ए विंग गेट नं. 5 निर्माण भवन ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली 110001।
12. सिन्हा मनीश कुमार ,भारत मे महिला शिक्षा दशा एवं दिशा, कुरूक्षेत्र सितम्बर 2005, ए विंग गेट नं.5 निर्माण भवन ग्रामीण विकास मंत्रालन नई दिल्ली 110011।